संख्या-94/2018/1249/41-2018-24 (बजट)/2017

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ दिनांक, 29 मार्च, 2018**

विषयः- जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्टस काम्प्लेक्स एवं झील मनोरंजन की परियोजना एवं उसमें प्रयुक्त विशिष्ट प्रकृति के कार्य एवं उच्च विशिष्टियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखुपर में स्थित रामगढ़ताल को पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण एवं आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित 'वाटर स्पोटर्स काम्प्लेक्स एवं झील मनोरंजन की परियोजना' के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(1) जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्ट काम्प्लेक्स की स्थापना एवं झील मनोरंजन की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 'व्यय वित्त समिति' की संस्तुति के अनुक्रम में रू0 40.12 करोड़ की धनराशि से प्रश्नगत परियोजना का कार्य चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम से कराया जायेगा।

(2) प्रस्तावित परियोजना को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने के दृष्टिगत परियोजना में सम्मिलित विशिष्ट प्रकृति के कार्य तथा उच्च विशिष्टियों यथा-फाल्स सीलिंग एवं स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग का कार्य कराया जायेगा।

(3) 'व्यय वित्त समिति' की संस्तुति के अनुक्रम में प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्ट प्रकृति के कार्य तथा वाटर स्पोर्टस एवं झील मनोरंजन के विशिष्ट उपकरणों की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, पर्यटन की अध्यक्षता में निम्नवत् एक समिति का गठन किया जाता है, जो इन कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में परीक्षण कर संतुष्ट हो लेगी तथा इन कार्यों हेतु पी0एफ0ए0डी0 की संस्तुत लागत की सीमा के अन्तर्गत जो न्यूनतम लागत संस्तुत करेगी, उस सीमा तक परियोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी तथा प्रायोजना के इन कार्य मदों का क्रय एवं स्थापना समिति द्वारा संस्तुत स्पेसिफिकेशन एवं लागत के आधार पर क्रय उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जायेगाः-

1	प्रमुख सचिव पर्यटन	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	सदस्य
3	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4	परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर	सदस्य
5	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग	सदस्य
6	महानिदेशक पर्यटन द्वारा नामित	संयोजक/ सचिव

(4) जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्ट काम्प्लेक्स की स्थापना एवं झील मनोरंजन की परियोजना के समयान्तर्गत क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए जिला स्तरीय समिति का निम्नवत् गठन किया जाता हैः-

1	जिलाधिकारी, गोरखपुर	अध्यक्ष
2	परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, गोरखपुर	सदस्य
3	परियोजना के निर्माण से सम्बन्धित वास्तुविद	सदस्य
4	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, गोरखपुर	सदस्य/सचिव

(5) जनपद गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्ट काम्प्लेक्स की स्थापना एवं झील मनोरंजन की परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अन्य निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

कृपया उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
प्रमुख सचिव

संख्या-94/2018/1249(1)/41-2018-24 (बजट)/2017 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति विभाग।
3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लि0।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर।
8- वेब अधिकारी।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।